



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012025-259891
CG-DL-E-03012025-259891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946

No. 27]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वित्तीय बाजार प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

का.आ. 29(अ).— केंद्रीय सरकार, अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (7) के खंड (ख) तथा नियम 10 के उप-नियम (2) के साथ पठित, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 5 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन को प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार (04) वर्ष की अवधि के लिए या सड़सठ (67) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिमाह 2,25,000/- रुपये के वेतन पर एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 3/7/2017-आरई]
सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****(FINANCIAL MARKETS DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2025

S.O. 29(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 and clause (ii) of section 5 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021) read with clause (b) of sub-rule (7) of rule 3 and sub-rule (2) of rule 10 of Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 the Central Government hereby appoints Justice Mayank Kumar Jain, Former Judge, High Court of Allahabad, as Judicial Member of the Securities Appellate Tribunal in the salary of Rs. 2,25,000/- p.m. for a period of four (04) years from the date of joining or till attaining the age of sixty-seven (67) years, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 3/7/2017-RE]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.